

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3083
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

जल संकट

3083. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

श्री राकेश राठौरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश के कई राज्यों में घटते भूजल स्तर और जल वितरण में असमानता के फलस्वरूप उत्पन्न जल संकट से अवगत है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएँ चलाई जा रही हैं; और
- (ग) क्या सरकार का राज्यों के बीच जल वितरण विवादों को सुलझाने के लिए भविष्य में एक राष्ट्रीय एकीकृत जल नीति लागू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) नियमित रूप से निर्धारित अंतरालों पर देश भर में भूजल स्तर की मानीटरिंग करता है। नवंबर 2024 के दौरान की गई मानीटरिंग के आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि देश भर के लगभग 63% कुओं ने दशकीय औसत जल स्तर (नवंबर 2014 से नवंबर 2023 तक) की तुलना में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की।

यद्यपि, जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों का सतत विकास एवं प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के द्वारा से राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन और संवर्धन के लिए जल की कमी वाले क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण गतिविधियों/कार्यों को शुरू करते हुए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

- i. वर्ष 2019 से सरकार देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जिसमें वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, जेएसए 2025 को देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें अति-दोहित और गंभीर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। जेएसए डैशबोर्ड के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में, देश में समन्वय के माध्यम से 1.14 करोड़ से अधिक जल संचयन और पुनर्भरण कार्य पूरे किए गए हैं।

- ii. जल शक्ति मंत्रालय अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो 7 राज्यों में 80 जल की कमी वाले जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए एक समुदाय आधारित स्कीम है। इस योजना के तहत विभिन्न वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं जैसे चेक डैम, तालाब, शाफ्ट आदि के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है।
- iii. जल शक्ति मंत्रालय सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दे रहा है और भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत देश में सतही जल आधारित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार, वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना लागू कर रहा है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2015-16 से दिसंबर 2024 तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 94.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- v. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है।
- vi. सीजीडब्ल्यूबी ने जलभृतों की स्थिति और उनके लक्षण-वर्णन की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नक्यूम) शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है और उपयुक्त क्षेत्र हस्तक्षेपों के लिए प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है। योजनाओं में मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के उपायों के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

(ग): देश में जल संसाधनों के समग्र और सतत विकास के महत्व को महसूस करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्ल्यूपी) तैयार की थी जिसकी बाद में समीक्षा की गई और वर्ष 2002 और 2012 में इसे अद्यतन किया गया। भूजल के दृष्टिकोण से, एनडब्ल्यूपी, 2012 में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, देश के जलभृतों का मानचित्रण, विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना द्वारा निष्कर्षण का उचित विनियमन और सतही और भूजल का एकीकृत विकास शामिल है। एनडब्ल्यूपी, 2012 में नदी बेसिन आधारित आयोजना दृष्टिकोण अपनाने और सुस्पष्ट एवं पारदर्शी जल वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जल के वैज्ञानिक वितरण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।
